न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
61/2017/प्रा.पत्र/2017	30.08.2017	24.08.2022

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.......प्रार्थी

बनाम

1–श्री नरेश कुमार सिंहल पुत्र श्री श्याम लाल सिंहल एफ.बी.ओ. मैसर्स श्याम लाल मुकेश कुमार सिंहल सदर बाजार देवली जिला टोंक राज. निवासी श्री श्याम कुंज वार्ड नं. 6, घोषी मौहल्ला देवली जिला टोंक राज.
2–मैसर्स श्याम लाल मुकेश कुमार सिंहल सदर बाजार देवली जिला टोंक राज.
3–श्री रमेश चन्द सिंहल पुत्र श्री राजमल सिंहल प्रोपरायटर मैसर्स जगदीश किराणा भण्डार लक्ष्मी मार्केट देवली जिला टोंक राज.
4–मैसर्स जगदीश किराणा भण्डार लक्ष्मी मार्केट देवली जिला टोंक राज.
5–श्री बाबूलाल बडाया पार्टनर मैसर्स छोटी लाल लकडा जी घाट गेट बाजार रामगंज अनाज मण्डी जयपुर निवासी लकडा भवन, जीण माता का खुर्रा, सूरजपोल जयपुर राज.
6–श्री सीताराम बडाया पार्टनर मैसर्स छोटी लाल लकडा जी घाट गेट बाजार रामगंज अनाज मण्डी जयपुर निवासी लकडा भवन, जीण माता का खुर्रा, सूरजपोल जयपुर राज.
7–मैसर्स छोटी लाल लकडा जी घाट गेट बाजार रामगंज अनाज मण्डी जयपुर

.... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत 26 की उपधारा 2(ii) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित ।

:–<u>निर्णय</u>–: **दिनांक 24.08.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.03.2017 को समय 04:01 पीएम पर मैसर्स श्याम लाल मुकेश कुमार सिंहल सदर बाजार देवली जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहां पर श्री नरेश कुमार सिंहल पुत्र श्री श्याम लाल सिंहल मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री नरेश कुमार सिंहल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान की रैक में **बेसन लकडा जी ब्राण्ड पॉली पैक (Besan Lakda Ji Brand Poly Pack)** 500–500 ग्राम के 25 पॉलीपैक सील्ड पैक दुकान की रैक में रखे हुये थे, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

तो श्री नरेश कुमार सिंहल को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री नरेश कुमार सिंहल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **बेसन लकडा जी ब्राण्ड पॉली पैक (Besan Lakda Ji Brand Poly Pack)** वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 500–500 ग्राम पैक के चार नग कुल 2 किलोग्राम खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 किलोग्राम **बेसन लकडा जी ब्राण्ड पॉली पैक (Besan Lakda Ji Brand Poly Pack)** को 500–500 ग्राम के चार भाग तैयार कर एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1569 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1569 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

मौके पर नमूना क्रय करते समय श्री नरेश कुमार सिंहल एफ.बी.ओ. मैसर्स श्याम लाल मुकेश कुमार सिंहल सदर बाजार देवली जिला टोंक राज. ने बतौर वारन्टी मैसर्स जगदीश किराणा भण्डार लक्ष्मी मार्केट देवली जिला टोंक राज. का बिल पेश किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

वारन्टी होने के कारण आवेदक ने मैसर्स जगदीश किराणा भण्डार लक्ष्मी मार्केट देवली जिला टोंक को फार्म नं. 5 ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाने बाबत् पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म से संबंधित खाद्य अनुज्ञा पत्र व वैट टिन रजि. की प्रति प्रेषित की एवं बतौर वारन्टी मैसर्स छोटी लाल लकडा जी घाट गेट बाजार रामगंज अनाज मण्डी जयपुर का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक ने मैसर्स छोटी लाल लकडा जी घाट गेट बाजार रामगंज अनाज मण्डी जयपुर को फार्म नं. 5ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने बाबत् पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने **बेसन लकडा जी ब्राण्ड पॉली पैक** के निर्माता व पैकिंगकर्ता की समस्त जिम्मेदारी लेते हुये अपनी फर्म से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./17/1874 दिनांक 10.05.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./206/एक्ट /2017/200

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

दिनांक 05.04.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **बेसन लकडा जी ब्राण्ड पॉली पैक (Besan Lakda Ji Brand Poly Pack)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(c)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्मों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 दिनांक 14.02.2020 को न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए एवं जवाब हेतु समय चाहा परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी कोई जवाब पेश नहीं किया और ना ही इसके बाद स्वयं उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं. 5 व 7 की ओर से दिनांक 14.02.2020 को श्री देवीप्रकाश तिवाडी ने एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा एवं अप्रार्थी सं. 6 श्री सीताराम बडाया के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश कर उनकी मृत्यु होना बताया एवं अप्रार्थी सं. 6 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया। दिनांक 14.02.2020 से अब तक कई अवसर देने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **बेसन लकडा जी ब्राण्ड पॉली पैक (Besan Lakda Ji Brand Poly Pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे एवं अप्रार्थी सं. 6 श्री सीताराम बडाया की मृत्यु होने के कारण उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्राप करने में अपनी सहमति दी।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **बेसन लकडा जी ब्राण्ड पॉली पैक (Besan Lakda Ji Brand Poly Pack)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 30,000/– (अक्षरे तीस हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 40,000/–(अक्षरे चालीस हजार रूपये) आरोपित की जाती हैं। अप्रार्थी सं. 6 श्री सीताराम बडाया की मृत्यु होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाती हैं एवं अप्रार्थी सं. 5 व 7 पर कुल शास्ति रूपये 3,00,000/– (अक्षरे तीन लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 24.08.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0